



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
E-mail: rocz.alco-nct@nic.in

पत्र सं० : 8बी/यू०पी०/०८/२४६/२०२२/एफ.सी./५१०

दिनांक: 31.08.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/152749/2022

विषय: जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत दौंती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइपलाईन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-1649/81-2-2022-800(171)/2022, लखनऊ, दिनांक-02.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. The complete .kml file of the area proposed for diversion is not depicted in the SOI toposheet. This needs rectification.
2. No objection certificates of concerned departments (Irrigation, PWD, etc.) need to be submitted.
3. An undertaking needs to be submitted by the U/A stating that the proposal includes complete forest area involved in the execution of said project no piecemeal proposal shall be entertained.
4. Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.
5. Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components need to be depicted in .kml file.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम ग्रभोण, मीरजापुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}